



39

न्यायालय श्रीमान बालदेव मंडले एकालैपट्टपुरुष उद्दित्यास म.प्र.,

R - 1826 - J-112

पु.या.क्र.

श्रीमती रेखाबाई पति अनिलकुमार भार्गव पुत्री स्व. दुर्गाप्रसाद दुबे उम्र 40 वर्ष,
धंधा ग्रहकार्य निवासी राला मण्डल इन्दौर जिला इन्दौर म.प्र.,

-----अपीलार्थी/आपत्तिकर्ता

का विश्वासी है
मेरोदार
ज्ञानी दृष्टि
आज दि
हृष्टि
उल्लिङ्गनी
पूर्ण पूर्णी

25-6-12

22-6-12

विस्तु

- 1/ प्रमोदकुमार पिता स्व. गिरधारीलाल ब्राह्मण उम्र 62 साल,
धंधा खेती निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 2/ श्रीमती नाराबाई पति स्व. गिरधारीलालजी ब्राह्मण उम्र 100 वर्ष,
धंधा कुछ नहीं निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 3/ सुरेशचन्द्र पिता स्व. श्रीनारायण ब्राह्मण उम्र 65 वर्ष,
निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 4/ शरदचन्द्र पिता स्व. श्रीनारायण ब्राह्मण उम्र 63 वर्ष,
निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 5/ हषवर्धन पिता स्व. श्रीनारायण ब्राह्मण उम्र 58 वर्ष,
धंधा नौकरी निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 6/ अस्कण पिता स्व. श्रीनारायण ब्राह्मण उम्र 50 वर्ष,
धंधा नौकरी निवासी खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
दुर्गाप्रसाद पिता श्रीनारायण ब्राह्मण के बारिस
राकेश पिता स्व. दुर्गाप्रसाद ब्राह्मण उम्र 35 वर्ष
- 7/ निवासी पटवारी मोहल्ला खातेगांव जिला देवास म.प्र.,
- 8/ श्रीमती रघिम पति कमलेश शर्मा पिता स्व. दुर्गाप्रसाद ब्राह्मण उम्र 30 वर्ष
निवासी ग्राम माकड़ोन तहसील एवं जिला उज्जैन म.प्र.,

-----प्रतिप्रार्थीगण(रिस्पन्डेन्ट)

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत/-
प्रकरण धारा 109, 110 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत/-

महोदय,

माननीय तहसीलदार महोदय खातेगांव के समक्ष विचाराधीन राजस्व प्रकरण
क्रमांक 09 अ 06/11-12 में दिनांक 08/05/12 को अपीलान्ट/आपत्तिकर्ता द्वारा घब्हार
न्यायालय वर्ग-02 खातेगांव के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 4 ए/11 में पारित निर्णय के
विस्तु माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय कल्नौद द्वारा दी विविध अपील क्रमांक

२२१९।६ | अमोदुमा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

(ग)

(४७)

अनुबूति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R १८३६ | I | १२

जिला - २९१६

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
३१.८.१९	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी १६/८/२०१८ के प्रकरण क्रमांक ७/अ-६/११-१२ में पारित आदेश दिनांक ४.५.१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक १४.१०.१९ को कलेक्टर देवाल के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी)</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	